प्रेषक,

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बिजनौर ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 09 जुलाई, 2018**

विषय-उ0प्र0 विधान सभा उपचुनाव 2018 में विधान सभा क्षेत्र-24-नूरपुर, बिजनौर से नव-निर्वाचित मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सं0-15/2018/260/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017 दिनांक-04.05.2018 द्वारा विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों में से रिक्त विधान सभा क्षेत्र-24-नूरपुर, बिजनौर को शून्य धनराशि अंकित करते हुए विधान सभा के शेष 403 मा0 सदस्यों तथा विधान परिषद के 86 मा0 सदस्यों अर्थात विधान मण्डल के कुल 489 मा0 सदस्यों को रू0 75.00 लाख प्रति सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 36675.00 लाख (रू0 तीन अरब छाछठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- सूच्य है कि उ0प्र0 विधान सभा के उप चुनाव-2018 द्वारा विधान सभा क्षेत्र-24 नूरपुर, बिजनौर से नव निर्वाचित मा0 सदस्य को संलग्न सूची के अनुसार उनके क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 की प्रथम किश्त के रूप में रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधान सभा क्षेत्र-24 नूरपुर, बिजनौर से नव निर्वाचित मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- जनपद-बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि विधान सभा के मा0 सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

टी0के0 शिबु

विशेष सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-22/2018/412(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- जिलाधिकारी, बिजनौर ।
13- कोषाधिकारी, बिजनौर ।
14- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-22/2018/412/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017,दिनांक-09 जुलाई, 2018 का संलग्नक विधान सभा के नव-निर्वाचित मा0 सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के जनपद को आवंटित धनराशि की सूची।

क्र0सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1	24. नूरपुर	बिजनौर	75.00
		योग	**75.00**

(कुल रूपये पचहत्तर लाख मात्र)

विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।